

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2016 (रा.गु.नि.)  
पंजीयन दिनांक 25.02.2016  
G.C.M.S. NO. :- 2016/00154

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

श्री राकेश उर्फ राजू पिता मदनलाल खटीक, निवासी आखरिया चौक, बेगूं थाना  
बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

-गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

उपस्थिति : 1- अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार  
2- श्री चन्द्रशेखर जोशी अधिवक्ता, गैरसायल

निर्णय

दिनांक 11.11.2022

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल आखरिया चौक, बेगूं, थाना बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है। दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ-सट्टा खेलने आम जनता के साथ शारीरिक अपराध करने, लोक शांति



सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री राकेश उर्फ राजू पिता मदनलाल खटीक निवासी आखरिया चौक, बेगूं जिला-चित्तौड़गढ़

भंग करने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध गवाही देने का साहस ही नहीं करता है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब कर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ उसके बाद श्री जयदीप बीलू ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने नोटिस सुन-समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं जवाब प्रस्तुत कर ट्रायल चाही जिससे गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर जोशी ने अधिकार पत्र पेश किया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य पैरवी में निम्नांकित गवाहान के बयान दर्ज कराये गये:-

- 1-श्री बुद्धसिंह पिता रणजीत सिंह निवासी देहीमथा, जिला भीलवाड़ा तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस थाना बेगूं हाल रिजर्व पुलिस लाईन भीलवाड़ा
- 2-श्री शिवप्रकाश पिता बंशीलाल टेलर, तत्कालीन पु. नि. पुलिस थाना बेगूं, हाल ए. सी. बी. जयपुर

अधिवक्ता गैरसायल ने उसकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ-सट्टा खेलने, आम जनता के साथ शारीरिक अपराध करने व आम शांति भंग करने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध गवाही देने का साहस ही नहीं करता है। गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासे अनुसार कुल 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं:-

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 1- प्र.सं. 38/15  | धारा 13 आर. पी. जी. ओ. एक्ट |
| 2- प्र.सं. 239/15 | धारा 13 आर. पी. जी. ओ. एक्ट |



गैरसायल को उक्त 02 ही प्रकरणों में सजा हो चुकी है तथा उक्त प्रकरण में उपस्थित गवाहान ने भी अपने बयानों में गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नहीं देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्डा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल के विरुद्ध द्वेषतावश उक्त प्रकरण बनाकर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही प्रस्तुत की है। गैरसायल ने अपने में सुधार कर मेहनत मजदूरी कर शान्तिपूर्वक अपना व अपने परिवार का जीवन-यापन कर रहा है। उक्त प्रकरणों के बाद गैरसायल के विरुद्ध किसी भी धारा के आपराधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं। मौहल्ले या गांव में कोई शांति भंग नहीं की है। गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला निर्णित नहीं हुआ है जिससे आम जनता में भय व्याप्त हो, या आम जनता की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा हो। गैरसायल भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 15, 17 व अध्याय 22 के अधीन आने वाले अपराध करने की दुष्प्रेरणा में न तो लगा हुआ है और न ही ऐसे अपराध कर रहा है। गैरसायल के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई है। अतः सहानुभूति का रुख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त दोनों ही प्रकरणों में गैरसायल को सजा होकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार गैरसायल का जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत रहा है एवं उसके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

अतः राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल राकेश उर्फ राजू पिता मदनलाल खटीक निवासी आखरिया चौक, बेगूं, थाना बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ को गुण्डा घोषित किया जाता है। एवं 1 (एक) माह के लिए जिला चित्तौड़गढ़ से निष्काषित करने का आदेश दिया जाता है। गैरसायल को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 25.11.2022 तक अपने आप को इस जिले से निष्काषित कर भीलवाड़ा जिले में प्रवेश कर ले। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति थानाधिकारी माण्डलगढ़, जिला



सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री राकेश उर्फ राजू पिता मदनलाल खटीक निवासी आखरिया चौक, बेगूं जिला-चित्तौड़गढ़

भीलवाड़ा में देता रहेगा। उक्त क्षेत्र से अन्यत्र जाने से पूर्व गन्तव्य स्थान का पूर्ण पता थानाधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा के यहां दर्ज कराने के पश्चात वहां से प्रस्थान करेगा। थाना क्षेत्र माण्डलगढ़ में उपस्थिति के दौरान गैरसायल शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों मेलों, हाट बाजार, सिनेमा हाऊस व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेगा। इस अवधि में तेज धारदार हथियार, अस्त्र अथवा आयुद्ध, विस्फोटक अथवा ज्वलनशील वस्तु आदि उसके कब्जे में नहीं रखेगा।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’

(गितेश श्री मालवीय)

